

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.- 89/2016

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ

- वादी

बनाम

1. जीवनसिंह पुत्र भगवानाराम, जाति नायक निवासी सूरजगढ।
2. सुमेरसिंह पुत्र छोटेलाल, जाति नायक निवासी भुडनपुरा।
3. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ प्रसाद, जाति रैगर निवासी सूरजगढ।
4. राजेन्द्र चावरिया पुत्र गिरधारीलाल चांवरिया जाति मेहतर निवासी सुलताना।
5. श्री मनीष कुमार पुत्र गिरधारीलाल, जाति खटीक, निवासी वार्ड 06 सूरजगढ।
6. कृष्णा देवी पत्नी श्री अनिल कुमार, जाति जाट निवासी बेरला।
7. संदीप कुमार पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी बेरला।

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

::संशोधित निर्णय ::

दिनांक - 15.03.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-


(क) विवादग्रस्त भूमि धारा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित से प्रतिपक्षीगण को बेदखल किया जावे और प्रार्थी को राज्य सरकार के हित में कब्जा दिलाया जावे।

(ख) विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 4 के नाम से खारीज फरमाई जाकर राज्य सरकार के नाम से करने का आदेश फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) अन्य दादरसी जो प्रार्थी के हक में हो और चाही जाने से रह गई हो दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये तामील पुलिन्दा से करवायी गई प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 की ओर से श्री हवासिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1,6,7 की ओर से श्री मदन सिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की तामील पुनः रजिस्ट्रड डाक से एवं 5 की बाद तामील रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये। अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजकीय पैरोकार ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को ही साक्ष्य बताया जिन पर प्रदर्श संख्या 01 लगा 02 अंकित किए। राजकीय पैरोकार ने बहस कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


उपखण्ड नजिस्ट्रेट
सूरजगढ

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2070-73, नक्शा ट्रेस, विक्रय का इकरारनामा।
बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: संशोधित आदेश:—


न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख०न० 568/47 रकबा 1.52 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ़ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की थी जिसको हस्तान्तरित किसी अन्य जाति के किया गया है।

न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में यह जोच का विषय है कि इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत अभिधारी की जोत का, सम्पूर्ण या भागतः कोई अंतरण या उप-पट्टा किया गया है या नहीं ?


राज्य ब. चांद खां, 1975 आर.आर.डी, 400, राज्य ब. हिम्मत लाल, 1976 आर.आर.डी. 218, राज्य ब. मोत्या बाई, 1982 आर०आर०डी० 519, सोना बाई ब. राज्य, 1984 आर०आर०डी० 625, कामड ब. राजस्व मण्डल, 1985 (1) वी.ला.नो. 11:1986 आर०आर०डी० 51 (उ० न्या०):1985 रा.ला.रि. 533, श्रीमती कोइली ब. राज्य, 1988 आर०आर०डी० 18(खण्डपीठ), जगदीश ब. फुलचंद, 1991 आर०आर०डी० 218, भौरीलाल ब. रामनिवास, 1993 आर०आर०डी० 94 के अनुसार यह एक स्थापित विधि है कि एक अनुसूचित जाति के अभिधारी द्वारा किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी जोत विक्रय द्वारा अन्तरित करना धारा 42 का उल्लंघन है। अतः अवैध अन्तरण है और अन्तरित व अन्तरक दोनों बेदखली के लिए दायी है।

अतः उक्त वर्णित के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 का उल्लंघन किया है तथा अन्तरक तथा अन्तरिती के मध्य अन्तरण सिद्ध होना पाया जाता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को बेदखल किया जाकर नाम हजफ कर सम्पूर्ण भूमि राज्य में निहित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं तथा बेचान बयनामा, हस्तान्तरण, इकरारनामा इत्यादि भी ab inition null & void होने के कारण निरस्त घोषित किए जाते हैं।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न० 568/47 रकबा 1.52 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ़ से प्रतिवादीगण (समस्त अन्तरक तथा अन्तरिति) की बेदखली की कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 42 का उल्लंघन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है।


(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सूबे जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 89/2016

निर्णय दिनांक :- 15-03-2022

राजस्था सरकार बनाम जीवन सिंह आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.03.2022 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 568/47 रकबा 1. 52 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की थी जिसको हस्तान्तरित किसी अन्य जाति के किया गया है।

न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में यह जॉच का विषय है कि इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत अभिधारी की जोत का, सम्पूर्ण या भागतः कोई अंतरण या उप-पट्टा किया गया है या नहीं।


राज्य ब. चांद खां, 1975 आर.आर.डी. 400, राज्य ब. हिम्मत लाल, 1976 आर.आर.डी. 218, राज्य ब. मोत्या बाई, 1982 आर0आर0डी0 519, सोना बाई ब. राज्य, 1984 आर0आर0डी0 625, कामड ब. राजस्व मण्डल, 1985 (1) वी.ला.नो. 11:1986 आर0आर0डी0 51 (उ0 न्या0):1985 रा.ला.रि. 533, श्रीमती कोइली ब. राज्य, 1988 आर0आर0डी0 18(खण्डपीठ), जगदीश ब. फुलचंद, 1991 आर0आर0डी0 218, भौरीलाल ब. रामनिवास, 1993 आर0आर0डी0 94 के अनुसार यह एक स्थापित विधि है कि एक अनुसूचित जाति के अभिधारी द्वारा किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अपनी जोत विक्रय द्वारा अन्तरित करना धारा 42 का उल्लंघन है। अतः अवैध अन्तरण है और अन्तरित व अन्तरक दोनों बेदखली के लिए दायी है।

अतः उक्त वर्णित के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 का उल्लंघन किया है तथा अन्तरक तथा अन्तरिती के मध्य अन्तरण सिद्ध होना पाया जाता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को बेदखल किया जाकर नाम हजफ कर सम्पूर्ण भूमि राज्य में निहित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं तथा बेचान बयनामा, हस्तान्तरण, इकरारनामा इत्यादि भी ab inition null & void होने के कारण निरस्त घोषित किए जाते हैं।

तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 568/47 रकबा 1. 52 हैक्टर स्थित ग्राम लोटिया तहसील सूरजगढ से प्रतिवादीगण (समस्त अन्तरक तथा अन्तरिती) की बेदखली की कार्यवाही कर जमाबन्दी में स्पष्ट अंकन करे की प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 42 का उल्लंघन करने पर भूमि को सिवायचक किया गया है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(दीपांशु सांगवान)

उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ